कार्यवाही विवरण

आदेश	
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कोरोना उपद्रव के कारण आदेशों न लिखाया जा सका। पत्रावली दिनांक 27/11 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बवलवाड़
27/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपरोक्त प्रकरण में मूल वाद खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज होने पर वाद चलाने का औचित्य नहीं रह जाता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रन कम हो तथा बाद तकमील अपना दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/11/19 उपखण्ड अधिकारी बवलवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested